राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (30) ग्राविवि/ग्रुप–5/तकनीकी अनुमोदन समिति/ 2016–17 जयपुर, दि. 08.2016
15-09-2016

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

शासन सचिव, ग्रामीण विकास महोदय की अध्यक्षता में विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 10.08.2016 को आहुत की गई है, जिसमें परिशिष्ठ–1 पर वर्णित अधिकारियों एवं विभागीय समीक्षा बैठक में उपस्थित अधिशाषी अभियन्ता एवं प्रभारी अधिकारी (आवास) ने भाग लिया।

बैठक में गत बैठक में लिए गये निर्णय/निर्देशों/कार्यवाही पर चर्चा उपरान्त एजेण्डा बिन्दुवार विस्तृत विचार–विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये है:–

एजेण्डा बिन्दु संख्या–2 ग्रामीण विकास के भूकम्प रोधी भवन/ प्रधानमंत्री आवास योजनान्तर्गत आवास निर्माण कार्यों हेतु इंट जोडाई दीवार पर आधारित भवनों के लिए रेट्रोफिटिंग आदि की दो मार्गदर्शिका पुस्तिका पर चर्चा उपरान्त अनुमोदन।

गत् बैठक दिनांक 15.06.2016 को सभी सम्भाग स्तरीय जिलो के अधिशाषी अभियन्ताओं के स्तर पर अध्ययन कर आवश्यक सुझाव दिये जाने के निर्देश दिये गये परन्तु किसी भी अभियन्ता से अपेक्षित सुझाव अप्राप्त रहे। इस क्रम में शासन सचिव महोदय ने सभी सदस्यों तथा उपस्थित अधिशाषी अभियन्ता एवं प्रभारी अधिकारी (आवास) को "मार्गदर्शक पुस्तिकाओं" के प्रारूप का अध्ययन कर दिनांक 31.08.2016 तक समुचित/व्यवहारिक सुझाव प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके उपरान्त प्राप्त यथोचित सुझावों का समावेश कर पुस्तिकाओं को अन्तिम रूप दिया जावें, यदि कोई सुझाव प्राप्त नहीं हो तो यथावत अनुमोदन मान लिया जावें।

बिन्दु संख्या–3 अ बीएसआर साफ्टवेयर में दर विश्लेषण की तरह दिनांक/ वर्षवार श्रम/ सामग्री/ उपकरण की बेसिक दर एवं दर अनुसूची (बीएसआर) का सृजन का प्रावधान करने तथा आफ लाईन की गई गणनाओं/ विवरण का परीक्षण।

बीएसआर सॉफटवेयर से सम्बन्धित प्रकरणों के सम्बन्ध में विभागीय स्तर पर गठित तकनीकी उपसमिति में प्रकरण विचाराधीन/प्रक्रियाधीन है। जिसके सम्बन्ध में दि 02.08.2016 को जारी स्मरण–पत्र के उपरान्त भी रिपोर्ट नहीं प्रस्तुत करने पर खेद व्यक्त करते हुए शीघ्र रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या–3 ब बीएसआर साफ्टवेयर सामग्री सूची के आईटम संख्या 9.6 पत्थर की चाप, ईकाई घन मीटर के लिए जिलो द्वारा निर्धारित दर पर अध्ययन/ परीक्षण।

सामग्री सूची के आईटम संख्या 9.6 पत्थर की चाप, ईकाई घन मीटर के लिए 2 जिले सिरोही एंव नागोर जिले द्वारा निर्धारित दर क्रमश रू0 5500/– एंव 5000/–प्रति घन मीटर को विभागीय तकनीकी उपसमिति द्वारा असंगत माना गया, जिसके सम्बन्ध में जिलों के

अधिशाषी अभियन्ताओं से स्पष्टीकरण प्राप्त करते हुए बाजार सर्वे अनुसार समुचित/सुसंगत दर का निर्धारण करवाने एवं बीएसआर सॉफटवेयर में आवश्यक संशोधन कराने हेतु निर्देशित किया गया।

बिन्दु संख्या–3 स विभाग द्वारा जारी पूर्व पत्र क्रमांक एफ 27(78)ग्रावि / ग्रुप–5/जीकेएन/ दर विश्लेषण / 2012–13 दिनांक 25 जून, 2013 के द्वारा लिए गये निर्णय एवं आदेश क्रमांक एफ 27(36)ग्रावि/ग्रुप–5/ जीकेएन/ बीएसआरसॉफ्ट/ 2015–16 दिनांक 11.01.2016 द्वारा अनुमत की गई गतिविधि के दर विश्लेषण का परीक्षण कर मिट्टी खुदाई कार्य मशीन (टेक्टर मय स्क्रेपर, जेसीबी एवं डोजर) से करवाये जाने हेतु समुचित दर विश्लेषण/विवरण प्रस्तुत करना।

मिट्टी खुदाई कार्य मशीन द्वारा करवाये जाने हेतु अन्य विभागों की बीएसआर दरों का अध्ययन कर, समिति द्वारा प्रस्तुत दर विश्लेषण रिपोर्ट/विवरण पर जलग्रहण विकास विभाग की गत बैठक में चर्चा के क्रम में उपस्थित जलग्रहण विकास विभाग के प्रतिनिधियों एवं विभागीय समीक्षा बैठक के क्रम में उपस्थित समस्त जिला परिषदों के अधिशाषी अभियन्ता एवं प्रभारी अधिकारी (आवास) से प्रस्तुत दर विश्लेषण पर चर्चा उपरान्त सहमति व्यक्त की गई। जिसे विभागीय बीएसआरसॉफ्ट में अविलम्ब लागू करवाने का निर्णय लिया गया।

बिन्दु संख्या–4 विभिन्न निर्माण कार्यो की गुणवत्ता नियंत्रण हेतु प्रगति के दोरान आवश्यक परीक्षण एवं कार्य पूर्ण में विलम्ब पर शास्ति आरोपित करने पर चर्चा।

विभिन्न निर्माण कार्यो के कार्य पूर्ण में विलम्ब पर शास्ति आरोपित करने बाबत विभागीय पत्र दिनांक 27.07.2016 के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये गये है। इसी क्रम में कार्यों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करते हुए कार्य पूर्ण में विलम्ब पर निर्देशानुसार शास्ती आरोपित कराने की कार्यवाही अमल में ली जावें।

विभागीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश विभागीय पत्र दिनांक 10.06.2016 के द्वारा समस्त जिला को निर्देशित कर दिया गया है। अतः उक्त सम्बन्ध में प्रगति के दौरान आवश्यक परीक्षण कराने की आवश्यकता बाबत् विस्तार से अवगत कराते हुये निम्न निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावें:–

- **ग्रेवल सडकः–** ग्रेवल सडक निर्माण कार्यो में ग्रेवल बिछाने से पूर्व आपूर्ति की गई ग्रेवल का प्लास्टिसिटी इन्डेक्स (पीआई 6 से कम) निर्धारित स्तर की है या नहीं, सुनिश्चित करने हेतु पीआई टेस्टिंग कराकर रिपोर्ट के उपरान्त ही, ग्रेवल बिछाने की अनुमति दी जावे।
- **इन्टरलॉकिंग टाईल सडकः–** इन्टरलॉकिंग टाईल सडक निर्माण कार्यो में टाईल आपूर्ति के समय रेन्डम बेस टाईल की क्षमता (M:30) हेतु आईएस कोड– 15658 के बिन्दु संख्या– 8 के प्रावधान अनुसार सेम्पल लेकर कम्प्रेसिव टेस्ट कराकर ही उपयोग में ली जावे। यहां यह वांछनीय है कि आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति की गई सभी टाईलों की निर्धारित गुणवत्ता का प्रमाण–पत्र लिया जावे, जिससे टाईलों की गुणवत्ता में आपूर्तिकर्ता की भागेदारी हो सके।
- **सीमेन्ट सडकः–** सीमेन्ट सडक निर्माण के दौरान प्रतेदिन निर्मित की जा रही सीमेन्ट सडक के कम से कम 6 क्यूब टेस्टिंग हेतु लिये जावे। कार्य पूर्ण होने के बाद निर्धारित 28 दिवस के उपरान्त हर 250 मीटर पर एक कोरकटर टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर कार्य का उपयोगिता प्रमाण–पत्र/पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जावे।

- **ईट खरंजा सडकः–** ईट खरंजा सडक निर्माण कार्यो में ईटों की आपूर्ति के समय रेन्डम बेस ईट की क्षमता हेतु सेम्पल लेकर कम्प्रेसिंव स्ट्रेन्थ आदि टेस्ट कराकर ही उपयोग में ली जावे। यहां यह वांछनीय है कि आपूर्तिकर्ता से आपूर्ति की गई सभी टाईलों की निर्धारित गुणवत्ता का प्रमाण–पत्र लिया जावे, जिससे टाईलों की गुणवत्ता में आपूर्तिकर्ता की भागीदारी हो सके।

बिन्दु संख्या–5 तृतीय पक्ष निरीक्षण हेतू कार्य के कन्टीजेन्सी (2 प्रतिशत) मद राशि मे से 1 प्रतिशत राशि जिला स्तर पर आरक्षित रखने एवं कार्य निष्पादन व्यवस्था में उपयोग पर चर्चा।

इस सम्बन्ध में गत् बैठक दिनांक 15.06.2016 के बिन्दु संख्या 6 अनुसार निर्णय की पालना के क्रम में शीघ्र आवश्यक निर्देश जारी कराने की कार्यवाही की जावे।

बिन्दु संख्या–6 ग्रेवल सडकों की उम्र निर्धारण एंव क्षतिग्रस्त सडको की मरम्मत एंव पुनः ग्रेवल कार्य को अनुमत करने बाबत चर्चा।

गत् बैठक दिनांक 15.06.2016 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार गठित 5 अभियन्ताओं की कमेठी से अध्ययन/परीक्षण की वांछित रिपोर्ट प्राप्त कर आगामी बैठक में प्रस्तुत की जावें।

बिन्दु संख्या–7 ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधिन ग्रेवल सडकों की चौड़ाई बढ़ाने/निर्धारण के सम्बंध में।

गत् बैठक दिनांक 15.06.2016 के बिन्दु संख्या 5 के अनुसार गठित 5 अभियन्ताओं की कमेठी से अध्ययन/परीक्षण की वांछित अप्राप्त रही।

बिन्दु संख्या–8 सामग्री क्रय व्यवस्था वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2016 की पालना में विभागीय मार्गदर्शक सिद्धान्तों के प्रारूप पर चर्चा।

वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 14 जुलाई 2016 की पालना में ग्राम पंचायत द्वार करवाये जा रहे निर्माण कार्यो के लिये आवश्यक सामग्री क्रय व्यवस्था हेतु विभाग द्वारा तैयार किया गया मार्गदर्शक सिद्धान्तों के प्रारूप पर सभी सदस्यों तथा उपस्थित अधिशाषी अभियन्ता एवं प्रभारी अधिकारी (आवास) चर्चा की गई। जिस पर सभी सदस्यों द्वारा अपनी सहमति व्यक्त की गई।

बिन्दु संख्या–9 विभागीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित कराने हेतु चर्चा।

विभागीय योजना के अन्तर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु निम्न प्रस्तावों पर भी चर्चा की है :–

प्रस्ताव सख्या 1– स्वीकृत राशि 5.00 लख से अधिक लागत के कार्य योजना के दिशा–निर्देशानुसार अनुमत होने पर ठेके पर ही सम्पादित कराये जाने हेतु निम्न तथ्यों पर विचार कर अनिवार्य किया जाना उचित होगा :–

- ग्राम पंचायतों द्वारा सम्पादित कराये जा रहे कार्यों के लिए कार्य सम्पादन के लिए उत्तरदायी एवं कार्य सम्पादनकर्ता दोनों एक ही संस्था है। यदि वर्तमान व्यवस्था अनुसार ग्राम पंचायत स्वयं कार्य सम्पादन के लिए उत्तरदायी एवं सम्पादनकर्ता है तो कार्य सम्पादन उपरान्त निम्न स्तर की

गुणवत्ता के लिए उत्तरदायित्व निर्धारण/राशि वसूली में प्रभावी कार्यवाही में काफी समय लगता है।

- यदि कार्यों के सम्पादन के लिए अन्य कार्यकारी संस्था नियुक्त की जाती है तो सम्बन्धित संस्था को सम्पादित कराये गये कार्य के भुगतान से पूर्व, गुणवत्ता सुनिश्चित कराई जा सकती है। उल्लेखनीय है कि यथा सम्भव कार्य सम्पादन के लिए अन्य कार्यकारी संस्था को अग्रिम राशि नहीं दी जाती।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव संख्या 1 पर सहमति के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही बाबत् निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या :– 2 गुणवत्ता सुधार हेतु अन्य राजकीय विभाग यथा सार्वजनिक निर्माण विकास, जल संसाधन विभाग की तर्ज पर कार्यकारी संस्थाओं एवं तकनीकी अधिकारियों की कार्य संपादन/पर्यवेक्षण की कोई वित्तीय सीमा निर्धारित किये जाने पर विचार करने की आवश्यकता है। यदि कार्यकारी संस्था के पास विभाग द्वारा निर्धारित वित्तीय सीमा से अधिक कार्य स्वीकृत है तो निर्धारित सीमा से अधिक के कार्यों के लिए अन्य यथोचित कार्यकारी संस्था को नियुक्त किये जाने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव संख्या 2 पर सहमति के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा अग्रिम आवश्यक कार्यवाही बाबत् निर्देशित किया गया।

प्रस्ताव संख्या :– 3 ग्राम पंचायत/पंचायत समिति में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत स्वीकृत/सम्पादित कराये जा रहें निर्माण कार्यों के लिए अपेक्षित तकनीकी कार्मिकों की कमी है तो कार्यो के पर्यवेक्षण (तकनीकी स्वीकृति/मूल्यांकन/उपयोगिता प्रमाण–पत्र के अधिकार को छोडकर) हेतु कार्यवार स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सूचीबद्ध तकनीकी व्यक्तियों की सेवाएं लिये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

उदाहरण के रूप में यदि किसी ग्राम पंचायत में भवन एवं सडक निर्माण कार्य संपादित किया गया है तो स्थानीय स्तर पर उपलब्ध तकनीकी व्यक्ति यथा – डिप्लोमा/डिग्री धारी अभियंता/आर्टिटेक्ट/आईटीआई डाफ्टमैन आदि को यथाचित प्रकिया अपनाकर पंजीकृत किया जा सकता है।

सूचीबद्ध तकनीकी व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित कराकर विभागीय योजनाओं की सघन जानकारी दी जा सकती है। तद्उपरान्त कार्यवार जॉब ऑउट सोर्सिंग बेसिस पर नियमानुसार सूचीबद्ध तकनीकी व्यक्तियों को निरीक्षण व गुणवत्ता नियन्त्रण का उत्तरदायित्व दिया जा सकता है। इस क्रम में वित्तीय प्रावधान के परिपेक्ष्य में सार्वजनिक निर्माण विभाग की व्यवस्था अनुसार कार्यो के तकमीने में कन्टीजेन्सी मद के अतिरिक्त सुपरविजन चार्जेज की राशि का प्रावधान किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

उक्तानुसार पर्यवेक्षण हेतु अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होने की स्थिति में तकनीकी प्रकृति के पक्के कार्यो के कार्य निष्पादन की व्यवस्था पाईलेट बेसिस पर लागू कर तद्नुसार समीक्षा उपरान्त सभी जिलों में लागू किये जाने पर विचार किया जाना चाहिए।

बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों द्वारा उक्त प्रस्ताव संख्या 3 के क्रम में अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी से सुझाव प्रस्तुत करने एवं प्राप्त सुझावों को आगामी बैठक में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

अन्य बिन्दु– बैठक में उपस्थित अन्य जिलों के अधिशाषी अभियन्ता द्वारा बीएसबार सॉफटवेयर में बदलाव के सम्बन्ध में निम्न सुझाव प्राप्त हुए:–

- बीएसआर सॉफटवेयर सामग्री सूची में अंकित आईटमों/सामग्री की दरें (20 **किमी. दूरी तक परिवहन व्यय एवम समस्त कर सहित)** में सड़क के कार्य में प्रयुक्त सामग्री के लिये लीड 20 किमी हटाने का सुझाव दिया है।
- अधिशाषी अभियन्ता जिला परिषद गंगानगर में ईंटों के खरंजे के कार्य में ईटों की खपत के लिए गंगानगर जिले द्वारा प्रेषित विवरणानुसार सॉफटवेयर में संशोधन करने का सुझाव दिया गया है। जिस पर अध्यक्ष महोदय द्वारा जिले विशेष के लिए सॉफ्टवेयर में परिवर्तन नहीं करने का निर्णय लिया गया।
- पत्थर फलॉरिंग में मार्बल स्लेप/टाईल्स की मोटाई 20 MM के स्थान पर वर्तमान में प्रचलित 15 MM की मोटाई तक अनुमत कराने बाबत् समुचित दर विश्लेषण/विवरण प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।
- इन्टरलॉकिंग टाईल्स के आईटम में इन्टरलॉकिंग टाईल्स व BLOCK STONE के आईटम पृथक किया जावें।

अंत में बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1 विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
3 निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग।
4 निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
5 निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गाधी नरेगा, ग्रामीण विकास ।
6 निदेशक, जलग्रहण विकास विभाग, राजस्थान।
7 जिला कलेक्टर, समस्त।
8 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् समस्त।
9 संयुक्त शासन सचिव (प्रशा.), ग्रामीण विकास विभाग।
10 वित्तीय सलाहकार, ग्रावि/पंरावि/महात्मा गांधी नरेगा/जलग्रहण विकास विभाग।
11 परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एवं मू.), ग्रावि को विभागीय वेब-साईट पर अपलोड कराने हेतु।
12 अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास।
13 अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस),महात्मा गॉधी नरेगा ग्रामीण विकास विभाग
14 अधीक्षण अभियन्ता (प्रो0), पंचायती राज।
15 अधिशाषी अभियंता (अभि.), जिला परिषद समस्त।
16 रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)